



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 21 जुलाई, 2026 ई०

आषाढ़ 30, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग-3

संख्या- 324 / XVIII(3) / 2026-02(08)2026

देहरादून, 21 जुलाई, 2026

अधिसूचना

जनपद देहरादून में अतिक्रमण ध्वस्तीकरण के पश्चात नाली,
फुटपाथ एवं सुधारीकरण कार्य में प्रभावित होने वाली ग्राम कारगीग्रान्ट,
तहसील-देहरादून की 0.0239 हे० भूमि का धारा-11 के अन्तर्गत
प्रारम्भिक अधिसूचना

**भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम, 2013**

प्रारूप-2

{नियम 5(1) देखें}

प्रारम्भिक अधिसूचना

संख्या 1711/आठ-वि0भू0अ0अ0/देहरादून/2025,

दिनांक: 20/08/2025

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन- वित्तीय वर्ष 2022-23 में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 35/2020 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर के अन्तर्गत विद्या विहार, वार्ड नं0-73 में कारगी चौक से लालपुल मोटर मार्ग मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अतिक्रमण ध्वस्तीकरण के पश्चात् नाली, फुटपाथ एवं सुधारीकरण कार्य में प्रभावित होने वाली 0.0239 हैक्टेयर भूमि ग्राम कारगीग्रान्ट, तहसील देहरादून, जिला देहरादून एवं भूमि पर स्थित-सम्पत्ति का अर्जन अपेक्षित है, अर्थात् प्रोफेसर, ग्राफिक ईरा हिल यूनिवर्सिटी, देहरादून द्वारा सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विवरित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/ प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/ प्रारम्भिक जांच का सार कलेक्टर/ विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देहरादून, उपजिलाधिकारी(सदर) देहरादून, नगर निगम देहरादून, तहसील देहरादून के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में देखा जा सकता है तथा dehradun.nic.in की वेबसाईट पर अवलोकन किया जा सकता है।

भूमि अर्जन के कारण शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की सम्भावना है। अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), देहरादून को प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः जिला देहरादून तहसील देहरादून के ग्राम कारगीग्रान्ट में उक्त परियोजना के लिए 0.0239 हैक्टेयर भूमि का विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है:-

ग्राम कारगीग्रान्ट, तहसील-देहरादून, जिला देहरादून

क0 सं0	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं	वृक्ष की संख्या	संरचनाएं
1	2	3	4	5	6	7	11	13
1	84ग	निजी	भूमिधरी	0.008175 हे0 या 0.0082 हे0	1-श्रीमति उर्मिला देवी पयाल पत्नी श्री राजपाल सिंह पयाल 2- श्री महिपाल सिंह पयाल पुत्र उत्तम सिंह पयाल	उ0- भू-स्वामियों की सम्पत्ति द0- सम्पत्ति आसिम परवेज खान एवं हाजी खुशनूद अली पू0- स्वामियों की सम्पत्ति प0- सड़क लो0नि0वि0	—	टिनपोश 0.00681 हे0 दुकान भूतल। पक्का 0.001365 हे0
2	84घ	निजी	भूमिधरी	0.000295 हे0 या 0.0003 हे0	1-श्री राजपाल सिंह पुत्र उत्तम सिंह 2-श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री उत्तम सिंह 3- श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री उत्तम सिंह 4- श्री कल्याण पुत्र श्री उत्तम सिंह	उ0- भू-स्वामियों की सम्पत्ति द0- भू-स्वामियों की सम्पत्ति पू0- स्वामियों की सम्पत्ति प0- सड़क लो0नि0वि0	—	टिनपोश 0.000295 हे0

3	84 च	निजी	भूमिधरी	0.000255 है० या 0.0003 है०	श्री आसिम परवेज खान पुत्र श्री अंजुम परवेज खान	उ०- सम्पत्ति श्रीमति उर्मिला देवी पयाल एवं महिपाल सिंह द०- भू-स्वामियों की सम्पत्ति पू०- भू-स्वामियों की सम्पत्ति प०- सम्पत्ति खुशनूद अली	—	दुकान पक्का भूतल 0.000255 है०
4	84 च	निजी	भूमिधरी	0.002713 है० या 0.0027 है०	श्री हाजी खुशनूद अली पुत्र श्री गुलाम मोहम्मद	उ०- सम्पत्ति श्रीमति उर्मिला देवी पयाल एवं महिपाल सिंह द०- सम्पत्ति मकबूल हसन पू०- — प०- सड़क लो०नि०वि०	—	दुकान पक्का भूतल 0.002713 है०
5	85	निजी	भूमिधरी	0.003711 है० या 0.0037 है०	श्री आसिम परवेज खान पुत्र श्री अंजुम परवेज खान	उ०- सम्पत्ति उर्मिला देवी पयाल एवं महिपाल सिंह द०- हरिद्वार बाईपास पू०- भू-स्वामी की सम्पत्ति प०- सम्पत्ति मकबूल हसन	—	दुकान/रेस्टोरेन्ट पक्का 02 नं० भूतल 0.003711 है०
6	85	निजी	भूमिधरी	0.001190 है० या 0.0011 है०	श्री मुकबल हसन श्री हाजी खुशनूद अली	उ०- सम्पत्ति हाजी खुशनूद अली द०- हरिद्वार बाईपास पू०- भू-सम्पत्ति आसिम परवेज खान प०- सड़क लो०नि०वि०	—	दुकान पक्का भूतल 0.00110 है०
7	89	निजी	भूमिधरी	0.002586 है० या 0.0026 है०	श्री शशी भूषण पुत्र श्री ओम प्रकाश	उ०- सम्पत्ति विद्यादत्त जखमोला द०- भू-स्वामी की सम्पत्ति पू०- सड़क लो०नि०वि० प०- सम्पत्ति मनीष राणा	—	खाली भूमि
8	89	निजी	भूमिधरी	0.004998 है० या 0.0050 है०	1-श्री विद्यादत्त जखमोला 2-श्री राकेश जखमोला पुत्र श्री विद्यादत्त जखमोला 3-श्री संजय जखमोला पुत्र श्री विद्यादत्त जखमोला	उ०- लो०नि०वि० की सड़क एवं श्री पृथ्वीधर की सम्पत्ति द०- भू-स्वामी की सम्पत्ति पू०- सड़क लो०नि०वि० प०- भू-स्वामी की सम्पत्ति	—	आवासीय भवन
		कुल योग		0.023923 है० या 0.0239 है०				

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अन्धीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, देहरादून के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, देहरादून और उनके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका

सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, कय/ विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन को तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में, कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

स्थान : देहरादून

हस्ताक्षर अस्पष्ट

समुचित सरकार/कलेक्टर,
देहरादून।

सुनील सिंह,
अपर सचिव।

The Right to fair Compensation and Transparency in Land Acquisition,
Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

Form-II

[See Rule 5(1)]

No. 1711/VIII-SLAO/D.Dun/2025,

Date 20/08/2025

Whereas it appears to the appropriate Government that a total of 0.0239 Hectare land is required in the Village Kargi grant Tehsil Dehradun District Dehradun for Public purpose, namely In the financial year 2022-23, under the Hon'ble Chief Minister's announcement number 35/2020, in Vidya Vihar, Ward No. 73, under the Assembly constituency of Dharmpur in Dehradun district, in compliance with the order of the Hon'ble High Court, after demolition of encroachment, drain, footpath and affected by the improvement work land and the property situated on the land is required to be acquired Professor, Graphic Era, Hill University, Dehradun Social Impact Assesment study was carried out by Social Impact Assessment (SIA) Unit and a report submitted/ preliminary investigation was conducted by a team constituted by Collector as laid down under rule 4. Social Impact Assesment Report/ preliminary investigation may be inspected in the office of the Collector/ Special Land Acquisition Officer Dehradun, S.D.M.(Sadar) Dehradun, Nagar Nigam Dehradun, Tehsildar Dehradun and can be viewed on the website- dehradun.nic.in

A Zero families are likely to be displaced due to the land acquisition. Additionl Majistrate (Adm.) Dehradun is appointed as Administrator for the purpose of rehablitation and resettlement of the effected families. Therefore it is notified that for the above said project 0.0239 Hectare land Village of Kargi grant, Tehsil Dehradun District Dehradun, whose detail description is as following, is under acquisition:

Village of Kargi grant, Tehsil Dehradun District Dehradun

S.No.	Surver No.	Type of Tital	Type of land	Area under acquisition (Hectare)	Name and adress of person interested	Boundaries	Number of Trees	Houses etc Strature
1	2	3	4	5	6	7	11	13
1	84 Ga 84ग	Personal	Landlord	0.008175 Hectare या 0.0082 Hectare	1- Mrs. Urmila Devi Payal wife of Shri Rajyapal Singh Payal 2- Shri Mahipal Singh Payal son of Uttam Singh Payal	N- Property of land owners S- Property of Asim Parvez Khan and Haji Khusnood Ali E- Property of owners W- Road PWD	—	Teen Posh 0.00681 हे0 shop ground floor pakka 0.001365 हे0
2	84 Gha 84घ	Personal	Landlord	0.000295 Hectare या 0.0003 Hectare	1- Shri Rajpal Singh son of Uttam Singh 2- Shri Mahipal Singh son of Shri Uttam Singh 3- Shri Manohar Singh son of Shri Uttam Singh 4- Shri Kalyan son of Shri Uttam Singh	N- Property of landowners S- Property of landowners E- Property of owners W- Road PWD	—	Teen Posh 0.000295 हे0

3	84 Cha 84 च	Personal	Landlord	0.000255 Hectare या 0.0003 Hectare	Shri Asim Parvez Khan son of Shri Anjum Parvez Khan	N- Property of Smt. Urmila Devi Payal and Mahipal Singh S- Property of landowners E- Property of landowners W- Property of Khusnood Ali	—	shop ground floor pakka 0.000255 है०
4	84 Cha 84 च	Personal	Landlord	0.002713 Hectare या 0.0027 Hectare	Shri Haji Khusnood Ali son of Shri Ghulam Mohammad	N- Property Smt. Urmila Devi Payal and Mahipal Singh S- Property Maqbool Hasan E- - W- Road PWD	—	shop ground floor pakka 0.002713 है०
5	85	Personal	Landlord	0.003711 Hectare या 0.0037 Hectare	Shri Asim Parvez Khan son of Shri Anjum Parvez Khan	N- Property Urmila Devi Payal and Mahipal Singh S- Haridwar Bypass E- Property of landowner W- Property Maqbool Hasan	—	Shop/Restaur ant pakka 02 No. ground floor 0.003711 है०
6	85	Personal	Landlord	0.001190 Hectare या 0.0011 Hectare	Shri Muqbal Hasan Shri Haji Khusnood Ali	N- Property Haji Khusnood Ali S- Haridwar Bypass E- Land Property Asim Parvez Khan E- Road PWD	—	shop ground floor pakka 0.0011 है०
7	88	Personal	Landlord	0.002586 Hectare या 0.0026 Hectare	Shri Shashi Bhushan son of Shri Om Prakash	N- Property Vidya Dutt Jakhmola S- Property of landowner E- Road PWD W- Property Manish Rana	—	vacant land
8	89	Personal	Landlord	0.004998 Hectare या 0.0050 Hectare	1-Shri Vidyadatt Jakhmola 2-Shri Rakesh Jakhmola son of Shri Vidyadatt Jakhmola 3-Shri Sanjay Jakhmola son of Shri Vidyadatt Jakhmola	N- Road of PWD and property of Shri Prithvidhar S- Property of landowner E- Road of PWD W- Property of landowner	—	residential house
		Grand Total-		0.023923 Hectare या 0.0239 Hectare				

This notification is made under the provision of section 11(1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), to all whom it may concern.

A plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Dehradun and Special Land Acquisition Officer Dehradun on any working day during the working hours.

The government is pleased to authorize Special Land Acquisition Officer and his staff to enter upon and survey land, take level of any land, dig or bore into the sub-soil and do all other acts required for the proper execution of their work as provided and specified in Section 12 of the said Act.

Under Section 11 (4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, etc., or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification without prior approval of the Collector.

Objections to the acquisition, if any, may be filed by the person interested within 60 (Sixty days) from the date of publication of this notification as provided Under Section 15 of the Act before Collector.

Place: Dehradun

Signature Illegible

Appropriate Government/Collector,
Dehradun.

SUNIL SINGH,
Additional Secretary.